

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-1027/2026- 1886

पटना, दिनांक- 29/9/26

दिनांक-25.03.2026 को CGRC Portal पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत CGRC Portal पर कुल 4065 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 3518 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया। शेष 547 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। लंबित पायी गयी कुल शिकायतों में से 311 अदद शिकायतें 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित पायी गयी।

02. समीक्षा के क्रम में बेनीपुर प्रखंड के सजनपुरा पंचायत के वार्ड संख्या-06 में लंबित शिकायत के संबंध में श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तत्कालीन प्रतिनियुक्त-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा यह बताया गया कि उक्त वार्ड में 180 घरों में गृह जल संयोजन किया जाना शेष है, जिसके लिए 3000 मीटर पाईप की आवश्यकता है, परन्तु शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने पर शिकायतकर्ता द्वारा यह बताया गया कि उक्त वार्ड में केवल 60-70 घरों में ही गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाना शेष है। इस संबंध में श्री भारती से पृच्छा करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि पाईप लाइन से संबंधित कोई Design एवं प्राक्कलन अभी तक तैयार नहीं किया गया है। उक्त वार्ड में O&M की राशि के खर्च के संबंध में पृच्छा करने पर श्री भारती द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकी।

03. उक्त से स्पष्ट है कि श्री भारती द्वारा CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन हेतु संबंधित योजनाओं का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और भ्रामक एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जबकि CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। श्री भारती छः महीने तक दरभंगा प्रमंडल में कार्यरत थे, इसके बावजूद उनके द्वारा उक्त कार्य में अपेक्षित अभिरूचि नहीं ली गयी, जिसके कारण दरभंगा प्रमंडल की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था।

04. उल्लेखनीय है कि MIS Portal पर योजनावार खर्च की गयी राशि की प्रविष्टि की गयी है। समीक्षा के दौरान श्री भारती को उक्त सूचना Portal पर प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा MIS Portal एवं CGRC Portal पर Log in भी नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि श्री भारती को MIS Portal एवं CGRC Portal के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जबकि

विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को उक्त Portal के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है।

05. CGRC Portal पर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत लघु मरम्मत से संबंधित कुल 55 शिकायतों को श्री भारती द्वारा प्रयास कर 24 घंटे के अंदर निष्पादित किया जा सकता था, परन्तु उनके स्तर से इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं किया गया, जिससे कि शिकायतों का निष्पादन किया जा सके।

06. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है श्री भारती द्वारा प्रमंडल अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन में अपेक्षित अभिरूचि नहीं ली गयी और न ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को शिकायतों के ससमय निष्पादन हेतु कोई दिशा निर्देश ही दिया गया, जिसके कारण दरभंगा प्रमंडल की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ।

07. विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा को PRD से हस्तांतरित योजनाओं के O&M कार्य हेतु कुल 3575.83 लाख रुपये आवंटित किये जाने के बावजूद भी श्री भारती द्वारा न तो संवेदक के माध्यम से कार्य करवाया गया और न ही कराये गये कार्यों को माप पुस्त में अंकित करते हुए मुख्यालय को अध्याचना ही प्रेषित की गयी, जो श्री भारती के स्तर से बरती गयी लापरवाही एवं उदासीनता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। इससे स्पष्ट है कि श्री भारती का संवेदकों एवं अपने अधीनस्थ सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं पर कोई नियंत्रण नहीं था।

08. दरभंगा प्रमंडल अन्तर्गत PRD से हस्तांतरित छूटे हुए 666 टोलों में कार्य कराया जाना है, जिसके विरुद्ध 427 योजनाओं में नलकूपों का निर्माण, 168 योजनाओं में मोटरों का अधिष्ठापन एवं 43 योजनाओं में पाईप लाईन बिछाने का कार्य कराया गया, परन्तु व्यय की गयी राशि शून्य है। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री भारती द्वारा या तो कार्य नहीं कराया गया, या कार्य कराया गया, तो कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण योजनाओं की प्रगति काफी असंतोषजनक थी। श्री भारती के स्तर से संवेदक को भुगतान नहीं किये जाने के कारण संवेदक द्वारा कार्यों में अपेक्षित अभिरूचि नहीं ली गयी, जिसके कारण योजनागत कार्यों की प्रगति काफी धीमी थी।

09. श्री भारती द्वारा ससमय शिकायतों का निराकरण नहीं कराने से यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में संवेदनशील नहीं थे। शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं कराने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण शुद्ध पेयजलापूर्ति के लाभ से वंचित हुए। इस संबंध में पूर्व में भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में श्री भारती को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया था, परन्तु इसके बावजूद उनके

क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया। ऐसी स्थिति में उक्त योजनाओं के लाभुक आमजन स्वच्छ जलापूर्ति से वंचित होंगे एवं बिहार सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना “हर घर नल का जल” के क्रियान्वयन पर भी विपरित प्रभाव पड़ सकता है। समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया कि दरभंगा प्रमंडल में छः माह से पदस्थापित रहने के बावजूद श्री भारती के स्तर से शिकायतों के निष्पादन एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने हेतु कोई विशेष तैयारी नहीं की गयी, जो विभागीय कार्यों के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-615, दिनांक-30.03.2026 द्वारा श्री भारती से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा अपना प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

10. श्री भारती का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री भारती प्रथम द्रष्टया दोषी है एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तत्कालीन प्रतिनियुक्त-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

11. निलंबन अवधि में श्री भारती का मुख्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ रहेगा।

12. निलंबन के दौरान श्री भारती को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

13. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अरविन्द कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1027/2026- 1887

पटना, दिनांक- 29/9/26

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, नेहरू पथ, पटना/जिला
कोषागार, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

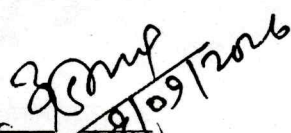

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1027/2026- 1887

पटना, दिनांक- 29/9/26

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान
आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०/कार्य प्रबंधन) कोषांग/क्षेत्रीय मुख्य
अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पूर्णियाँ
प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल/प्रशाखा पदाधिकारी-01, लोक स्वास्थ्य
अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव